इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद
प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 26/05/2017 को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम व पुलिस/प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहें संयुक्त अभियान के क्रम में नवाब युसुफ रोड सिविल लाइन्स क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के दौरान 02 दुकानों व भटठी, 10 टीन सेड, 03 गुमटिया, 02 ठेला, 02 झोपड़पटठी, 01 रेलिंग, 03 रैम्प, गाय भैस की चारही ,01 पक्की दीवाल सहित सड़क से 25 स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया, मौके पर नगर निगम द्वारा रू 2000, जुर्माने के रूप में वसूला गया। साथ ही उक्त मार्ग पर संचालित अवैध दुकानों,आवासीय भू-उपयोग में व्यवसायिक गतिविधियों तथा आवासीय व व्यवसायिक भवनो व उनके सेट बैक में किये गये अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया जिनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सीलिंग कार्यवाही की जायेगी।

इस कार्यवाही में प्राधिकरण की ओर से विशेषकार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, नगर निगम के जोनल अधिकारी श्री रवीन्द्र,प्राधिकरण से अवर अभियन्ता श्री आर 0पी0पाण्डेय,भवन निरीक्षक श्री विजय शंकर पाण्डेय,एवं नगर निगम से श्री पियूष मोहले के अतिरिक्त थाना सिविल लाइन्स के पुलिस व पी0ए0सी0 एवं एडीए प्रवर्तन दल व पुलिस बल मौजूद रहे।

अनधिकृत निर्माणों के विरूद्ध जोन संख्या -01 में अवैध निर्माण/अतिक्रमण के विरूद्ध व्यापक कार्यवाही करते हुए जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा100 चालान किया गया 19 नोटिस जारी किया गया तथा 03 बारात घर सहित कुल 08 निर्माण सील किये गये जो निम्नवत हैः-

1. श्रीमती रेखा उपाध्याय पत्नी श्री ललित कुमार उपाध्याय 173/154ए पुराना ममफोर्ट गंज इलाहाबाद अवैध निर्माण सील।
2. श्रीमती जगेश्वरी तिवारी 2ए/10 सी0 वेली रोड इलाहबाद आशीर्वाद गार्डेन बरात घर का अवैध निर्माण सील।
3. श्री गुफरान संचालक-मधुर मिलन गेस्ट हाउस/वारात घर वेली रोल जगराम चौराहा इलाहाबाद अवैध निर्माण सील।
4. श्री ध्रुव देव गुप्ता संचालक पैगोरिया भवन बारात घर 08ए म्योर रोड इलाहाबाद अवैध निर्माण सील।
5. श्री वसीम अहमद का विजया वैंक के ऊपर 7वी जगराम चौराहा वेली रोड अवैध निर्माण सील।
6. श्रीमती इन्दु यादव पत्नी श्री सुरेश यादव अल्का विहार रसूलपुर मरियाडीह लगभग 25X50 के क्षेत्रफल में भूतल का निर्माण सील।
7. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री हरेराम अल्का विहार रसूलपुर मरियाडीह लगभग 30X60 के क्षेत्रफल में भूतल का निर्माण सील।
8. श्री सीता राम गुप्ता अल्का विहार रसूलपुर मरियाडीह लगभग 30X60 के क्षेत्रफल में भूतल का निर्माण सील।

जोन सं0 02 में 12 चालान 19 नोटिस एवं 04 सील किये गये। जोन सं0 03 में 01 चालान सहित 03 नोटिस दिया गया। जोन संख्या 04 (नैनी) में अनधिकृत निर्माणों के विरूद्ध जोनल अधिकारी श्री पुष्कर श्रीवस्तव के नेतृत्व में 11 चालान व 11नोटिस सहित सील बन्दी एवं ध्वस्ती करण की कार्यवाही की गयी जो निम्नवत है।

1. श्री लक्ष्मी कान्त द्विवेदी का मेवालाल की बगिया में निर्मित तीन मंजिला भवन सील।
2. श्री प्रमोद पाण्डेय का मेवालाल की बगिया में निर्मित 02 मंजिला भवन सील।

प्राधिकरण की लगभग 1000 वर्ग मी0 अध्याप्त भूमि पर निर्मित बाऊण्ड्रीवाल व टीन सेड निर्माण को ध्वस्त करते हुए प्राधिकरण की अध्याप्ति भूमि अवमुक्त करायी गयी।

जोन सं0 05 (झूँसी) में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व में 05चालान सहित व्यावसायिक गतिविधियों के विरूद्ध 20 नोटिसे निर्गत की गयी । इसके अतिरिक्त जोन सं0 06 (फाफामऊ) में जोनल अधिकारी श्री सत शुक्ला के नेतृत्व में 02 चालान करने सहित 01 निर्माण को सील किया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त अवर अभियन्ता श्री महेश चौधरी,श्री ए0के0सिंह,श्री अशोक शुक्ला भवन निरीक्षक श्री अजीत श्रीवास्तव भवन निरीक्षक श्री कुवर आनन्द एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहें।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

प्रतिलिपिः- जन सम्पर्क अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना उन्ही समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जिसमें पूर्व में उक्त सूचना प्रकाशित की गयी थी।

26.05.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क